International Journal of Advanced Educational Research
ISSN: 2455-6157; Impact Factor: RJIF 5.12
Received: 06-12-2020; Accepted: 25-12-2020; Published: 13-01-2021
www.educationjournal.org
Volume 6; Issue 1; 2021; Page No. 14-17

निगमों का आपराधिक एवं अपकृत्यात्मक दायित्वः भारत के सन्दर्भ में एक विधिक अध्ययन

डॉ. दलपत सिंह[1], शिखा त्रिपाठी[2]
सहायक आचार्य, विधि संकाय, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान, भारत
शोधार्थी, विधि संकाय, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर, राजस्थान, भारत

सारांश
आपराधिक कानून और नियंत्रण के तहत पर्याप्त दिशानिर्देश के रूप में निगमित आपराधिक दायित्व एक बहस का मुद्दा है। इस तथ्य के बावजूद कि इसके आवेदन की वास्तविक डिग्री और कई राष्ट्रों में अभी तक इसकी व्यावहारिकता के संबंध में एक बड़ा विचार है, एक हद तक, ये विरोधाभास और मौखिक टकराव तीन आवश्यक और प्रासंगिक पूछताछ तक सीमित हो सकते हैं। इस शोध में, शोधकर्ताओं ने अध्ययन किया कि क्या व्यक्ति की परेशानी और दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार को अस्वीकार करने के लिए आपराधिक न्याय की समान व्यवस्था का उपयोग करने के लिए एक वैचारिक स्पष्टीकरण है, जो कि निर्जीव तत्वों को फिर से भरने के संबंध में है, जो प्रकृति में मृत और काल्पनिक हैं।
निगमित आपराधिक दायित्व ने कई शोधकर्ताओं को आकर्षित किया है और कई न्यायालयों में आपराधिक न्याय प्रणाली के विकास और विकास पर प्रवचन का विषय रहा है। इसलिए, संसाधनों या पिछले अध्ययनों की कोई कमी नहीं है जो निगमित आपराधिक दायित्व के निर्माण और प्रवर्तन के लिए दृष्टिकोण और सैद्धांतिक ढांचे दोनों को उजागर करेंगें। हालांकि प्रमुख न्यायालयों के पास अलग–अलग सिद्धांत हैं जो उन्हें कंपनियों के लिए एक प्राकृतिक व्यक्ति के इरादों और कृत्यों को पेश करने की अनुमति देते हैं, ऐसा लगता है कि दृढ़ इच्छाशक्ति के निर्धारण में इस तरह का कोई विचलन नहीं है, चाहे वह विकल्प के रूप में हो या इरादे का कोई दूसरा नमूना।

मूल शब्दः निगम, निगमित अपराध, निगमित आपराधिक दायित्व, आपराधिक न्याय प्रणाली

प्रस्तावना
बड़े पैमाने पर निगम हर जगह हैं। ये निगम हमारे जीवन के लगभग हर पहलू में दुनिया भर में परिभाषित करने वाली शक्ति होने के लिए एक सहायता है। कुछ जगह निगम खतरनाक अपराधी बन गए हैं। एक सामान्य नियम के रूप में, केवल मनुष्य ही अपराध कर सकता है। इस नियम का अपवाद यह है कि निगमित निकायों को निगमित अपराधों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है।
शोध का सवाल यह है कि क्या कोई निगमित निकाय अपराध करने में सक्षम है और यदि हाँ, तो कैसे एक निगम को कानून द्वारा आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। पहले का विचार था कि एक निगम को अपराध का दोषी नहीं होना चाहिए। आपराधिक अपराध के इरादे की आवश्यकता है और एक निगम के पास कोई इरादा नहीं है। इसके अलावा, एक निगम का अपना कोई निकाय नहीं था जिसे कैद किया जा सके। न्यायालय के प्रभारी अधिकारी या निदेशक या रोजगार के दायरे में कार्य करने वाले अन्य व्यक्तियों पर दायित्व को लागू करने की संभावना है।
एक निगम एक अलग कानूनी इकाई है जिसे कुछ कानून या पंजीकरण प्रक्रिया के माध्यम से स्थापित किया जाता है। उनके पास अपने निवेशकों से अलग अधिकार और दायित्व हैं। इन उद्यमों में से कुछ के पास अपने मूल राष्ट्र से अलग किए गए राष्ट्रों में संसाधन और कार्यालय भी हैं और इस तरह की साझेदारी को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में जाना जाता है। बहुराष्ट्रीय उद्यम आज मानव जीवन के कई हिस्सों में एक महत्वपूर्ण हिस्सा मान गए हैं। उनकी सेनाओं ने सबसे हालिया कुछ शताब्दियों के दौरान एक आश्चर्यजनक दर से इस हद तक विकास किया है कि वे अक्सर पूरे देशों के साथ विपरीत होते हैं। इस प्रकार, इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों और उद्यमों पर जिम्मेदारी और नियंत्रण के लिए एक प्रकार के तरीकों को लागू करना प्रमुख महत्व का है और प्रत्येक देश की जरूरतों के आधार पर एक बड़ी हद तक होना चाहिए।
लैमैन की शर्तों में, निगमित आपराधिक दायित्व का सम्मेलन मूल रूप से प्रचलित खाने के सिद्धांत का है, जो यातना कानून से आपराधिक कानून में विदेशी रहा है। यह सिद्धांत व्यक्त करता है कि एक कंपनी को जोखिम में कम किया जा सकता है और उसके किसी भी संचालक के गैरकानूनी प्रदर्शनों के लिए सजा सुनाई जा सकती है, बशर्ते वे विशेषज्ञ अपने वास्तविक या स्पष्ट विशेषज्ञ के अंदर काम कर रहे हों।

निगमित आपराधिक दायित्व की अवधारणा
वर्षों से एक साथ, निगमित आपराधिक दायित्व के सिद्धांत की आवश्यकता के लिए सवाल उठता है। इस प्रश्न का कोई सामान्य उत्तर नहीं है। यह प्रत्येक मामले में जांच और निर्धारित किया जाना है और फिर निगमों के दायित्व के बारे में निर्णय लिया जाना है।
इस अवधारणा के आलोचकों का तर्क है कि निगमित आपराधिक दायित्व का सिद्धांत निम्नलिखित दो आधारों पर पूरी तरह अनावश्यक हैः
सबसे पहले, वे तर्क देते हैं कि यह निगम नहीं हैं जो अपराध करते हैं, यह व्यक्ति है जो अपराध करते हैं। दूसरे, यह कि प्रतिशोधी प्रभाव शेयरधारकों और उपभोक्ताओं द्वारा वहन किया जाता है। इसका मतलब है कि निगमित आपराधिक जुर्माना और प्रतिबंधों की लागत शेयरधारकों और उपभोक्ताओं द्वारा निगमों के कृत्यों के लिए वहन की जाती है। आपराधिक कानून में, निगमित देयता यह निर्धारित करती है कि एक कानूनी व्यक्ति के रूप में एक निगमित उस व्यक्ति के कृत्यों और चूक के लिए उत्तरदायी हो सकता है जो इसे नियुक्त करता है। इसे आपराधिक विचित्र दायित्व का एक पहलू माना जाता है।

भारत में न्यायिक स्थिति

भारतीय अपराध संहिता 1860 के तहत भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के अनुसार किए गए अपराधों के लिए अभियोजन चलाया जाता है। धारा 11 ''व्यक्ति'' शब्द को परिभाषित करता है। इसमें किसी भी कंपनी या व्यक्तियों का संगठन या निकाय शामिल है। इसे शामिल किया जा सकता है या नहीं। इसलिए, अपराधों के कमीशन के लिए निगमों पर मुकदमा चलाया जा सकता है। हालांकि, निगमों के आपराधिक दायित्व की स्थिति को निर्धारित करने की आवश्यकता होती है जब निगम अपराध करते हैं जहां दंड संहिता अनिवार्य कारावास और जुर्माना की मांग करता है। कुछ ऐतिहासिक फैसलों ने इस मुद्दे को सुलझाया और निगमित आपराधिक दायित्व के विकास में मदद की।

असिस्टेंट कमिश्नर बनाम वेल्लियप्पा टेक्सटाइल्स लिमिटेड के मामले में, यह एक बहुमत के फैसले के द्वारा आयोजित किया गया था कि किसी कंपनी पर उन अपराधों के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है जिनमें जुर्माना के साथ एक अनिवार्य कारावास की सजा की आवश्यकता होती है। जहां अदालत न केवल जुर्माना लगा सकती है बल्कि प्रदान की गई सजा कारावास और जुर्माना दोनों दे सकते है।

इस कठिनाई को भारत के विधि आयोग ने देखा और अपनी 41वीं रिपोर्ट में भारत के विधि आयोग ने निम्नलिखित पंक्तियों को जोड़कर भारतीय दंड संहिता की धारा 62 में संशोधन का सुझाव दिया:

''हर मामले में जिसमें अपराध केवल कारावास के साथ या कारावास और जुर्माने के साथ दंडनीय है और अपराधी एक कंपनी या अन्य निकाय निगमित या व्यक्तियों का संघ है, केवल ऐसे अपराधी को दंडित करने के लिए अदालत में सक्षम होना चाहिए।''

स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक और अन्य बनाम निदेशालय प्रवर्तन और अन्य के मामले में, शीर्ष अदालत ने परिदृश्य को स्पष्ट किया। इसने निगमित आपराधिक दायित्व के सिद्धांत के बारे में पिछले विचारों को खारिज कर दिया था। अदालत ने माना कि किसी भी निगम के लिए अपराधों के अभियोजन से कोई उन्मुक्ति नहीं है क्योंकि अभियोजन एक अनिवार्य कारावास की मांग करता है। शीर्ष अदालत ने फैसला किया कि ऐसे अपराधों के मामलों में जो कारावास और जुर्माना दोनों को अनिवार्य करते हैं, निगमों को जुर्माना के साथ दंडित किया जाना चाहिए।

निगमित आपराधिक दायित्व का ढांचा

औद्योगीकरण और वैश्वीकरण के साथ, निगमों ने बेहतर या बदतर के लिए समाजों को प्रभावित करने की क्षमता हासिल कर ली। फिर भी, निगम आपराधिक कानून की पारंपरिक वस्तुएं नहीं हैं। व्यक्तिगत नैतिक अपराध की धारणाओं द्वारा न्यायोचित, आपराधिक मानदंडों को काल्पनिक व्यक्तियों के लिए अनुपयुक्त माना गया है जो मानव के माध्यम से सोचते हैं और कार्य करते हैं। भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषता यह है कि संघीय प्रणाली को अपनाने और अपने संबंधित क्षेत्रों में केंद्र और राज्य के अस्तित्व के बावजूद, यह आम तौर पर संघ और राज्य दोनों के कानूनों को संचालित करने के लिए अदालतों की एकल एकीकृत प्रणाली के लिए प्रदान किया गया है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय संपूर्ण न्यायिक प्रणाली के शीर्ष पर है। इसके नीचे प्रत्येक राज्य में उच्च न्यायालय हैं, जिसके नीचे अधीनस्थ न्यायालयों का एक विशाल पदानुक्रम है। बड़े बहुराष्ट्रीय निगम राष्ट्रीय और वैश्विक आर्थिक परिदृश्य पर हावी हो गए हैं। हमारी अर्थव्यवस्था में निगम तेजी से महत्वपूर्ण अभिनेता हैं और उनके कार्यों से समाज को नुकसान हो सकता है, उन्हें भी रोकना चाहिए। दो प्रमुख मुद्दे जो प्रभुत्व के थे जो निगमित आपराधिक दायित्व के सिद्धांत के विकास के चरण थे :

निगमित इरादे को पहचानने या साबित करने में विफलता है। परंपरागत रूप से, आपराधिक कानून कानून के जानबूझकर उल्लंघन के लिए आरक्षित किया गया है। फिर भी, हमारे निगमों के अभियोगों को अमूर्त, काल्पनिक संस्थाओं के इरादे की पहचान करने के प्रयासों में तेजी से चिह्नित किया गया है।

एक दूसरा मुद्दा प्रतिबंधों के बारे में है। इरादे के सबूत के अलावा, आपराधिक कानून की एक प्रमुख विशिष्ट विशेषता कारावास का खतरा है। यह कहा गया था कि एक निगम को कैद नहीं किया जा सकता है, निगमित व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए आपराधिक कानून एक उपयुक्त वाहन नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने भारत में यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट कर दिया है कि निगम को उन अपराधों में भी एक अलग कानूनी इकाई के रूप में मुकदमा चलाया जा सकता है जहां सजा कारावास है। यह लेख निगमित आपराधिक दायित्व पर भारत की वर्तमान स्थिति और न्यायिक निर्णय को कानूनी प्रावधानों के साथ असंगत बताता है। यह आगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में निगमित आपराधिक दायित्व के बारे में वर्तमान स्थिति प्रदान करता है। विभिन्न मामलों के तहत शीर्ष अदालत का फैसला संबंधित समस्या की गंभीरता को दर्शाता है, जो कि पीड़ित पक्षों द्वारा सामना किया जा रहा है।

हालाँकि कुछ पहले के मामलों ने यह स्थिति ले ली थी कि एक निगम अयोग्य नहीं है, लेकिन इसके विशेष सदस्य उत्तरदायी हैं, यह नियम अब अच्छी तरह से स्थापित है कि एक निगम को आपराधिक रूप से उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। आम तौर पर, निगमों को अपने कर्मचारियों के अवैध कृत्यों के लिए आपराधिक रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, अगर इस तरह के कृत्य रोजगार के पाठ्यक्रम से संबंधित और प्रतिबद्ध हैं, निगम के व्यवसाय और इसकी प्रचलित संस्कृति के आगे प्रतिबद्ध हैं, उदाहरण के लिए, यदि निगमित संरचना इतनी संगठित है कि सूचना के वरिष्ठ प्रबंधकों को ऐसी शक्तियों से वंचित करने की आवश्यकता है, तो यह एक निगमित संस्कृति को इंगित करेगा जो कानून प्रवर्तन को समाप्त करने के लिए रुपित किया गया है। एक निगम अपने कर्मचारियों के आचरण के लिए जवाबदेह होता है यदि वह निगम की सेवा करने की इच्छा से प्रेरित होकर कम से कम कुछ समय के लिए प्रेरित होता है, लेकिन यह एकमात्र प्रेरणा नहीं है। और, भले ही, कर्मचारी अपने हित में कार्य कर रहे हों, जब वे अपराध करते हैं, तो निगम अपने पर्यवेक्षकों की विफलता के लिए गलत तरीके से पता लगाने और रोकने के लिए आपराधिक रूप से उत्तरदायी हो सकता है, या तो कानून की जानबूझकर अवहेलना या अपनी आवश्यकताओं के प्रति सादा उदासीनता में।

भारत में निगमित आपराधिक दायित्व

जिस तरह भारत अपने शासन में भ्रष्टाचार के संकट से लड़ने की कोशिश कर रहा है, यह बड़े पैमाने पर निगमित भ्रष्टाचार घोटालों को समाप्त किया जा रहा है, जिसने भारत में भ्रष्टाचार की समस्या में भारत के निगमित क्षेत्र की भूमिका को तीव्र रूप से केन्द्रित किया है। इस संदर्भ में, भ्रष्टाचार और रिश्वत संबंधी अपराधों के लिए देयता को ठीक करने के लिए, यह आपराधिक देयता की जांच करने के लिए प्रासंगिक हो जाता है, न कि केवल एक निगम के व्यक्तिगत निदेशकों या एजेंटों के, बल्कि कंपनी के भी। भारतीय दंड संहिता, 1860, जो हालांकि संपूर्ण नहीं है, भूमि का सामान्य मूल आपराधिक विधान है। यह भारत के साथ एक निश्चित क्षेत्रीय संबंध रखने वाले सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। निगमों के आपराधिक दायित्व के उदाहरण भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 45, 63, 68, 70 (5), 203 आदि में पाए जा सकते हैं, जिसमें केवल कंपनी के अधिकारियों को उत्तरदायी ठहराया जाता है, न कि कंपनी को, यह

अधीनीकरण कोड के माध्यम से भी परिलक्षित होता है। भारतीय दंड संहिता के विभिन्न खंड जो प्रत्यक्ष अनिवार्य कारावास हैं, निगमित को ध्यान में नहीं रखते हैं क्योंकि इस तरह की मंजूरी निगम के खिलाफ काम नहीं कर सकती है।

ये अपने संबंधित क्षेत्र में प्रमुख कानून हैं जो आवश्यक कानूनी पहलुओं से रहित हैं। दूसरी ओर, कानून कुछ अन्य कानूनों और उनके संबंधित दंड प्रावधानों के संबंध में भी एक हद तक विकसित हो गया है, जिसमें दोषी पाए जाने पर निगमों पर जुर्माना लगाया गया है। ऐसे कुछ उदाहरण हैं:

- पराक्रम्य लिखत अधिनियम, 1862 की धारा 41
- धारा 7, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955
- आयकर अधिनियम 1995 की धारा 276–बी

भारतीय कानून के वैधानिक प्रावधानों के तहत, कम से कम एक कंपनी द्वारा किए गए आर्थिक या सख्त देयता अपराधों के लिए निर्धारित दायित्व, विधियों के व्यक्त प्रावधानों के अनुसार तीन गुना है। सबसे पहले, वह व्यक्ति जो अपने व्यवसाय के संचालन के लिए कंपनी के प्रभारी और जिम्मेदार था, को उत्तरदायी ठहराया जाता है, जब तक कि वह यह साबित नहीं कर सकता कि अपराध उसकी जानकारी के बिना या अपराध को रोकने के लिए परिश्रम करने के बावजूद उसके ज्ञान के बिना किया गया था। दूसरे, अगर यह साबित हो जाता है कि इस तरह के कानून के तहत अपराध सहमति या सहमति के साथ किया गया है, या कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या किसी अन्य अधिकारी की ओर से उपेक्षा करने के लिए जिम्मेदार है, तो ऐसे व्यक्ति को भी रखा जाएगा। उत्तरदायी। अंत में, कंपनी, निश्चित रूप से, उत्तरदायी माना जाता है, चाहे किसी भी व्यक्ति को दायित्व के साथ संलग्न किया गया हो। हालांकि, निगमित आपराधिक दायित्व पर कानून दंड संहिता में सामान्य आपराधिक कानून तक ही सीमित नहीं है, लेकिन वास्तव में, इसके लिए विशिष्ट प्रावधानों के साथ विधियों में उपलब्ध हैं।

भारत में इसके अलावा, भ्रम की स्थिति बनी हुई है कि क्या किसी कंपनी को अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है, जहां कानून द्वारा निर्धारित सजा कारावास और जुर्माना है। हालाँकि, कुछ मामलों के बाद, 41वें विधि आयोग ने एक रिपोर्ट दी जिसमें दंड प्रावधानों में संशोधन करने और अपराधी के मामले में जुर्माने के साथ कारावास के प्रतिस्थापन के लिए प्रदान करने का सुझाव दिया गया है। लेकिन अधिकारी उस रिपोर्ट पर आज तक बैठे हैं और दंड विधान में ऐसा कोई बदलाव नहीं किया गया है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और अन्य बनाम प्रवर्तन निदेशालय और अन्य अपीलार्थी ने हाई कोर्ट ऑफ बॉम्बे के समक्ष एक रिट याचिका दायर की, जिसमें विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 51 के साथ पढ़े गए विभिन्न नोटिसों को चुनौती दी गई और कहा गया कि अपील कंपनी के लिए उत्तरदायी नहीं थी विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 56 के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है, उच्च न्यायालय के अपीलकर्ता के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय ने एक विशेष अवकाश दायर किया, यह तर्क दिया कि विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 56 (1) के तहत अपीलकर्ता कंपनी के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। 1973 धारा 6 (1) (प) के तहत निर्धारित न्यूनतम सजा के रूप में उस अवधि के लिए कारावास है जो छह महीने से कम और जुर्माना के साथ नहीं होगा। अदालत ने माना कि विधायी मंशा पर विचार किया जाना चाहिए और सभी दंड प्रावधानों को अन्य सभी विधियों की तरह ही लागू किया जाना चाहिए ताकि कानून में व्यक्त विधायी मंशा को बाहर लाया जा सके। अदालतों ने इस फैसले का पालन किया है और आपराधिक दायित्व से निगमों को किसी भी प्रतिरक्षा से इनकार किया है। जैसा कि भारतीय कंपनियों ने सीमा पार लेनदेन और विदेशी निवेश बढ़ाने के साथ वैश्विक स्तर पर विस्तार करने की तैयारी की है, विदेशी भ्रष्टाचार विरोधी कानून की अलौकिक पहुंच के बारे में जागरूक होने और पर्याप्त अनुपालन उपायों को लागू करने के लिए उनकी आवश्यकता है। भारत में बढ़ते बिजली निगमों के आलोक में आज ऐसे निगमों के नैतिक व्यवहार को विनियमित करना आवश्यक हो गया है। जैसे–जैसे बहुराष्ट्रीय निगमों का प्रभाव बढ़ता है, उनकी जवाबदेही से संबंधित प्रश्न भी अधिक बार उठाए जाते हैं और इसलिए तदनुसार निगमों के आपराधिक दायित्व के कानून और इस तरह के अन्य को न्यायिक व्याख्या और कानून दोनों द्वारा विकसित किया गया है।

निगमित आपराधिक दायित्व के लिए दंड संहिता प्रावधान

भारतीय दंड संहिता यह प्रदान करती है कि निगम को अपराध का दोषी ठहराया जा सकता है यदि:

1. अपराध एक उल्लंघन है या संहिता के अलावा एक कानून द्वारा परिभाषित किया गया है जिसमें निगमों पर देयता लगाने का एक विधायी उद्देश्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है और निगम कार्यालय या रोजगार के एजेंट द्वारा आचरण किया जाता है ।
2. अपराध में कानून द्वारा निगम में लगाए गए सकारात्मक प्रदर्शन के एक विशिष्ट कर्तव्य का निर्वहन करने की छूट होती है, या
3. अपराध के आयोग को उसके कार्यालय या रोजगार के दायरे के भीतर निगम की ओर से कार्य करने वाले निदेशक मंडल या उच्च प्रबंधकीय एजेंट द्वारा निर्देशित, अनुरोध, आदेश, प्रदर्शन या लापरवाही से अधिकृत किया गया था। एक निगम को इसके निगमन के राज्य के कानूनों के तहत विधिवत भंग किया जा सकता है, जिसके बाद राज्य के विघटन प्रावधान के तहत आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है, विघटन और शब्द कार्रवाई और कार्यवाही के बाद निर्दिष्ट अवधि के भीतर निगम के खिलाफ किसी भी कार्रवाई, मुकदमा या कार्यवाही को अधिकृत करना। जैसा कि निगमित अस्तित्व को जारी रखने वाले कानून में इस्तेमाल किया जाता है, उसमें आपराधिक कार्यवाही शामिल है। कंपनी यह साबित कर सकती है कि उसने अपराध को कम करने के प्रयास में निगमित नीतियों की स्थापना की है, लेकिन यह एक अदालत को इसे आपराधिक रूप से उत्तरदायी समझने से नहीं रोकता है। एक प्रभावी अनुपालन नीति का अस्तित्व आपराधिक दायित्व से पूर्ण रक्षा प्रदान नहीं करेगा।

एक निगम को जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, वास्तव में केवल एक दंड जो कि अपराध के लिए निगम पर लगाया जा सकता है, अपनी संपत्ति का जुर्माना या जब्ती है जो अदालत द्वारा जारी किए गए निष्पादन द्वारा लगाया जा सकता है। एक निगम को कैद नहीं किया जा सकता है और अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए उत्तरदायी नहीं है जो केवल मृत्यु या कारावास से दंडनीय है। हालाँकि, यह तथ्य कि किसी कानून के उल्लंघन के लिए प्रदान किया गया जुर्माना एक जुर्माना या कारावास है, या अदालत के विवेकाधिकार में, यह एक निगम के लिए अनुपयुक्त नहीं है, और एक ही नियम लागू होता है जहां कानून जुर्माना नहीं देने पर कारावास की सजा देता है । वर्तमान भारतीय कानून के तहत, तब तक न्यायशास्त्र विकसित हुआ, कारावास के बदले जुर्माना लगाना कठिन है, हालांकि भारतीय दंड संहिता में व्यक्ति की परिभाषा में कंपनी शामिल है। यह भी उल्लेख करने योग्य है कि हमारी संसद ने भी इस समस्या को समझा है और इस संबंध में भारतीय दंड संहिता में संशोधन

करने का प्रस्ताव किया है जिसमें कारावास के विकल्प के रूप में जुर्माना शामिल है, जहां निगम 1972 में शामिल हैं। हालाँकि, विधेयक पारित नहीं किया गया था लेकिन व्यपगत हो गया था। आपराधिक न्यायशास्त्र में इस तरह का एक मूलभूत परिवर्तन एक विधायी कार्य है और इसलिए संसद को जल्द से जल्द उन तर्कों पर भी विचार करना चाहिए जो लेखक ने उठाए हैं। भारत में, भारतीय दंड संहिता जैसी कुछ कानूनों में दोषी पर लगाए जाने वाले प्रकार के दंडों के बारे में बात की जाती है और धारा 53 के अनुसार मृत्यु, आजीवन कारावास, कठोर और साधारण कारावास, संपत्ति और जुर्माना का जुर्माना शामिल है। कुछ मामलों में, धारा 420 के तहत अपराध के मामले में सजा के रूप में केवल कारावास की बात करती है।

भारत में निगमित आपराधिक दायित्व का कानून

आपराधिक दायित्व केवल उन प्रदर्शनों से जुड़ा होता है जिसमें आपराधिक कानून का उल्लंघन होता है अर्थात् राज्य के लिए एक आपराधिक कानून के बिना दायित्व नहीं हो सकता है जो कुछ प्रदर्शनों या बहिष्करणों को मना करता है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी को बाध्य करने के लिए, यह प्रदर्शित किया जाना चाहिए कि प्रदर्शन या बहिष्करण किया गया है जो कानून द्वारा वर्जित था और यह दोषपूर्ण व्यक्तित्व के साथ समाप्त हो गया है।

इस हद तक, भारत में शारीरिक कानूनी दायित्व के सिद्धांत की वर्तमान स्थिति का संबंध है, स्टैण्डर्ड चार्टर्ड बैंक और अन्य में शीर्ष अदालत के ब्याज निर्णय के वर्तमान बिंदु और इतने पर प्रवर्तन निदेशालय और अन्य और इसके बाद स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कीमती पत्थर को प्रभावित किया था। इसने निगमित आपराधिक दायित्व के संबंध में पिछले दृष्टिकोणों को दरकिनार कर दिया और उक्त उपदेश को एक और स्पर्श दिया।

जांच के लिए जो विचार उभरता है, वह यह था कि क्या एक संगठन या एक निगमित निकाय को उन अपराधों के लिए पेश किया जा सकता है जिनके लिए हिरासत की सजा एक आवश्यक अनुशासन है? वेलियप्पा टेक्सटाइल्स के मामले में, यह माना गया था कि संगठन को उन अपराधों के लिए नहीं ठहराया जा सकता है जिनके लिए जुर्माने के साथ संयुक्त अवधि के अनिवार्य कार्यकाल की असुविधा की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त यह भी माना जाता था कि जहाँ अनुशासन दिया जाता है वह निरोध और जुर्माना है, अदालत सिर्फ एक जुर्माना के लिए मजबूर नहीं कर सकती। प्रमुख भाग इस विचार का था कि आधिकारिक आदेश, कानून द्वारा अनुशंसित आधार अनिवार्य अनुशासन से विराम देने से अदालतों को वंचित करने के लिए है और एक सुधारात्मक कानून का अनुवाद करते समय यदि एक से अधिक दृश्य बोधगम्य है, तो न्यायालय के लिए झुकाव के लिए बाध्य है वह विकास जो किसी विषय को उस सजा से छूट देता है जो सजा देने पर मजबूर करता है।

निष्कर्ष

निगमित कृत्यों के लिए निगमों के आपराधिक दायित्व का मुद्दा प्रकृति में विवादास्पद रहा है। निगमित आपराधिक दायित्व की कानूनी स्थिति वर्षों में विकसित हुई है और अभी भी विकसित हो रही है और समय के साथ भारत में अदालतों ने अपने निदेशकों, नियोजित व्यक्तियों और अन्य एजेंटों द्वारा किए गए इच्छित कार्यों के लिए एक निगमित निकाय की देयता का निर्धारण करने में कड़ा रुख अपनाया है। भारतीय न्यायालयों ने हमेशा निगमों के दिमाग (नियंत्रण और निर्देशन) को निर्धारित करने की कोशिश की है और इस सिद्धांत का उपयोग इन निगमों के आपराधिक दायित्व की पहचान करते समय विभिन्न मामलों और विधियों में किया जाता है। भारतीय विधानमंडल को नए दंड प्रतिबंधों के रूप में कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि देश में निगमों के आपराधिक कृत्यों पर अंकुश लगाया जा सके।

सन्दर्भ

1. अखिल महेश, कॉर्पोरेट क्रिमिनल लायबिलिटी https://www.lactopus.com/academike/corporatecriminal-liability/.
2. अरविंद प्रसना, ऐवोलुशन ऑफ कॉर्पोरेट क्रिमिनल लायबिलिटीः एन एनालिसिस, www.Legalservicesindia.com/article/2537/Evolution-of-corporate-criminal-liability-in-india.html
3. असिस्टेंट कमिश्नर बनाम वेल्लिअप्पा टेक्सटाइल्स लिमिटेड, ए आई आर 2004 एस सी 86.
4. कॉर्पोरेट लायबिलिटी, https://en.m.wikipedia.org/wiki.
5. धरम वीर सिंह, कॉर्पोरेट क्रिमिनल लायबिलिटीः ए जुरीसप्रूडेंटिअल एंड कम्पेरेटिव एप्रोच, www.legalservicesindia.com/articles/Corporate-Criminal.html
6. स्टैण्डर्ड बैंक एवं अन्य बनाम डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट एवं अन्य, ए आई आर 2005 एस सी 2622.
7. गौड़ के डी, क्रिमिनल लॉ : केसेस एंड मैटेरियल्स, सिक्स्थ लेक्सिस नेक्सिस बटरवर्थ्स वाधवा पब्लिशर्स.
8. विभूति केएल, पीएसए पिल्लई'स क्रिमिनल लॉ, इलेवेंथ लेक्सिस नेक्सिस बटरवर्थ्स वाधवा पब्लिशर्स.
9. उमाकांत वारोत्तिल, कॉर्पोरेट क्रिमिनल लायबिलिटीः दी इरीडियम बनाम मोटोरोला केस, http://indiacorplaw.blogspot.in/2010/11/corporatecriminal-liability.html
10. प्रतीक अंधरिआ, कॉर्पोरेट क्रिमिनल लायबिलिटी : फाइंडिंग सेटल्ड शोर्स?–ए कमेंट ऑन इरीडियम इंडिया टेलीकॉम बनाम मोटोरोला इंक http://www.commonlii.org/in/journals/NALSARStuLawRw/2011/5.pdf